न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/84

ऋषिराज सिंह आत्मज स्व0 श्री सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन सिंह आत्मज स्व0 श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. नारायण सिंह आत्मज स्व0 श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. श्रीमती भंवर बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
4. श्रीमती रेशम बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवीस सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. श्रीमती श्रृंगार बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी जिला चित्तौडगढ ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 05.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में कुल 08 किता की 10.72 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादी के दादाजी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 5 के पिता स्व0 श्री करण सिंह के खाते की आराजी थी । स्व0 करण जी के 03 पुत्र मोहन सिंह, सोहन सिंह,

नारायण सिंह तथा तीन पुत्रियॉ भंवर बाई, रेशमबाई एवं श्रृंगार बाई मौजूद हैं । स्व0 सोहन सिंह ने अपनी पत्नी की सहमति से अपने बडे भाई मोहन सिंह के पुत्र वादी को विधिवत रूप से रीति – रिवाज के अनुसार गोद लिया था । वादी ने अपने दत्तक पिता के पास रहकर उनकी सेवा – सुश्रषा की । स्व0 करण सिंह की मृत्यु के बाद उनके खाते की आराजी का बंटवारा वादी एंव प्रतिवादी कम 1 से 2 के हिस्से 1/3 – 1/3 मौखिक रूप से मौके पर हो रहा है । प्रतिवादी कम 3 से 5 ने अपेन भाईयों के पक्ष में मौखिक रूप से हक त्याग कर दिया । वादग्रस्त आराजी पैतृक है । पक्षकारों ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है और वे अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादी 1/3 हिस्से पर दत्तक पुत्र होने के नाते हक घोषणा करवाने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी को स्व0 सोहन सिंह जी के हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से पृथक – पृथक कर विभाजन की डिक्री पारित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2012 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा वाद की प्रथम सुनवाई में वाद को स्वीकार किया गया है तथा विधि व तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है । वादी व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है । इसलिए वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 15 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । यदि अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र धारा 15 सीपीसी खारिज करना था तो प्रस्तुत वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद ही उक्त वाद का निस्तारण करना चाहिए था । प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 24.12.2012 को हुई जिस पर अविलम्ब उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की परन्तु प्रार्थी बीमार होने से अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका था इसलिए उक्त अपील समय पर पेश नहीं की जा सकी थी । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी के दादा और प्रतिवादी कम 1 से 5 के पिता स्व0

करण सिंह के खाते में दर्ज थी । विरासत के नामान्तरकरण संख्या 179 से प्रतिवादी क्रम 1 से 5 के नाम दर्ज हुई । करण सिंह जी के एक पुत्र सोहन सिंह भी था जो लाऔलाद फौत हुआ है । स्वर्गीय सोहन सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी स्व0 पत्नी रतनी बाई की सहमति से अपने बडे भाई मोहन सिंह के पुत्र ऋषिराज को विधिवत गोद लिया था और दत्तक पुत्र स्वीकार किया था । करण सिंह की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी का बंटवार वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1व 2 के मध्य 1/3 – 1/3 हिस्से अनुसार ही रहा है तथा मौके पर काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया था फिर भी दावे का खारिज किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है । इस कारण वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 15 सीपीसी का पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर वाद को ही खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि के प्रतिकूल होने से खारिज होने योग्य है । यदि न्यायालय वाद में साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक समझते हैं तो न्यायालय को प्रार्थना पत्र को खारिज कर वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद ही वाद का विधिवत निस्तारण करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज करने में त्रुटि की है । धारा 15 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए दावा पेश किया था कि वो सोहन सिंह के गोदपुत्र हैं इस नाते वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा निहित है जिसका उन्हें खातेदार कृषक घोषित किया जावे । वादी के द्वारा दत्तक पुत्र के रूप में वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा की प्रार्थना की गई है और दत्तक पुत्र घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को । इस प्रकार वादी का दावा राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है ।

12. निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13/84

ऋषिराज सिंह आत्मज स्व0 श्री सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मोहन सिंह आत्मज स्व0 श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. नारायण सिंह आत्मज स्व0 श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. श्रीमती भंवर बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
4. श्रीमती रेशम बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवीस सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. श्रीमती श्रृंगार बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी जिला चित्तौडगढ ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 27/दावा/2012

ऋषिराज सिंह आत्मज स्व0 श्री सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. मोहन सिंह आत्मज स्व0 श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. नारायण सिंह आत्मज स्व0 श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी बख्शपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. श्रीमती भंवर बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम *अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।*
4. श्रीमती रेशम बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी *सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।*
5. *श्रीमती श्रृंगार बाई पुत्री स्व0 श्री करण सिंह पत्नी श्री [illegible] सिंह जाति राजपूत निवासी [illegible]* जिला चित्तौंडगढ ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 05.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बी0 सी0 मालवीय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

5/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा